जाति आधारित जनगणना

विपक्षी नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा खुद को भी इस समूह में शामिल करने के आह्वान के कारण जाति जनगणना की मांग एक गर्म राजनीतिक मुद्दा बन गई है।

जाति जनगणना क्या है?

जाति जनगणना में जाति श्रेणियों के आधार पर भारत की जनसंख्या की गणना शामिल है। जबकि 1951 से हर जनगणना में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्ज की गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और उप-जातियों के आंकड़े गायब रहे हैं, जिससे नीति निर्माण और सकारात्मक कार्रवाई पहलों में महत्वपूर्ण अंतराल रह गया है।

जाति जनगणना की आवश्यकता:

1. असमानताओं को संबोधित करना: अंतर-जाति असमानताओं की पहचान करने में मदद करता है और संसाधनों का न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करता है।

2. नीतियों के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य: सकारात्मक कार्रवाई के लिए डेटा-संचालित आधार प्रदान करता है।

3. प्रभावशीलता की निगरानी: मौजूदा आरक्षण नीतियों का आकलन करने में सक्षम बनाता है।

4. शासन: संसाधन आवंटन और कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है।

उदाहरण: बिहार की 2023 की जाति जनगणना से पता चला है कि 84% आबादी ओबीसी, ईबीसी और एससी से संबंधित है, जिसके लिए लक्षित उपायों की आवश्यकता है।

1. सामाजिक न्याय: समानता और गैर-भेदभाव के लिए संवैधानिक जनादेश को पूरा करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. औपनिवेशिक युग:

o 1871-72 में पहली जाति जनगणना।

o ब्रिटिश शासन के तहत 1931 में अंतिम जाति डेटा एकत्र किया गया।

2. स्वतंत्रता के बाद:

o 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC): 46.7 लाख से अधिक जाति/उप-जाति समूहों की पहचान की गई, लेकिन महत्वपूर्ण डेटा असंगतियों का सामना करना पड़ा।

जाति जनगणना के निहितार्थ:

· सामाजिक

o वंचित समूहों की बेहतर पहचान।

o जाति-आधारित पहचान को मजबूत करता है, संभावित रूप से विभाजन को गहरा करता है।

उदाहरण: बिहार के निष्कर्षों ने प्रमुख जाति कथाओं को चुनौती दी।

o राजनीतिक

o उपेक्षित जाति समूहों की पहचान करके राजनीतिक रणनीतियों को नया रूप देता है।

उदाहरण: बिहार की जनगणना के बाद, आनुपातिक आरक्षण की मांग में तेज़ी आई।

o व्यापक हिंदू पहचान की राजनीति को कमज़ोर कर सकता है।

· आर्थिक

o धारणा के बजाय ज़रूरत के आधार पर संसाधन आवंटन को सक्षम बनाता है।

o पिछड़े समूहों के लिए लक्षित आर्थिक विकास कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाता है।

· शासन

o कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव को ट्रैक करने में मदद करता है।

o बुनियादी ढाँचे और स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने में सहायता करता है।

· कानूनी

o अदालतों में सकारात्मक कार्रवाई के लिए अनुभवजन्य औचित्य प्रदान करता है।

o एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को लागू करने में चुनौतियों का समाधान करता है।

जाति जनगणना की चुनौतियाँ:

1. वर्गीकरण में जटिलता: समान दिखने वाली जातियाँ या क्षेत्रीय भिन्नताएँ गलत वर्गीकरण का कारण बनती हैं।

उदाहरण: बंगाल में 'सेन' (उच्च जाति) बनाम 'सैन' (ओबीसी नाई जाति)।

1. ऊपर/नीचे की गतिशीलता के दावे: कथित लाभों से प्रभावित स्व-रिपोर्टिंग।

उदाहरण: बिहार जाति जनगणना में वर्गीकरण के मुद्दों पर विवाद हुआ।

1. प्रशासनिक व्यवहार्यता: गणनाकर्ताओं का अपर्याप्त प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की कमी।

2. डेटा अखंडता: राजनीतिक और सामाजिक दबावों के कारण डेटा हेरफेर के जोखिम।

3. सामाजिक विभाजन: जाति पहचान का संभावित सख्त होना।

केस स्टडी: बिहार जाति जनगणना (2023)

प्रभाव:

o आनुपातिक आरक्षण की मांग को बढ़ावा दिया।

o जाति आधारित कल्याण के लिए कथानक को मजबूत किया।

आगे की राह

1. मानकीकृत कार्यप्रणाली: त्रुटियों से बचने के लिए वर्गीकरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश।

2. गणनाकर्ताओं का प्रशिक्षण: सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण।

3. डेटा गोपनीयता: उत्तरदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए सख्त उपाय।

4. प्रौद्योगिकी को शामिल करना: सटीक डेटा मैपिंग के लिए एआई और भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग करें।

5. सक्रिय नीति: समावेशी और लक्षित कल्याण कार्यक्रम बनाने के लिए निष्कर्षों का उपयोग करें।

6. हितधारक जुड़ाव: विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और सामाजिक नेताओं को शामिल करें।

निष्कर्ष:

जाति जनगणना, चुनौतियों से भरी होने के बावजूद, प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा का लाभ उठाकर, भारत सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और सम्मान के अपने संवैधानिक आदर्शों के करीब पहुँच सकता है।

नीति आयोग: व्यापार निगरानी त्रैमासिक

नीति आयोग की वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए व्यापार निगरानी त्रैमासिक (TWQ) रिपोर्ट में भारत के व्यापार प्रदर्शन, वैश्विक व्यापार पुनर्गठन से अवसर और व्यापार विखंडन और कार्बन टैरिफ जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट से प्रमुख रुझान और अंतर्दृष्टि:

· डेटा पॉइंट:

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

o उत्तरी अमेरिका (21%) और यूरोपीय संघ (18.6%) महत्वपूर्ण बाजार हैं।

o FTA भागीदारों के साथ व्यापार में निर्यात में 12% और आयात में 10.3% की वृद्धि हुई।

· क्षेत्रीय प्रदर्शन:

o विकास क्षेत्र: आईटी सेवाएँ, फार्मास्यूटिकल्स, विद्युत मशीनरी और खनिज ईंधन।

o गिरावट वाले क्षेत्र: कपड़ा, मोती और चमड़ा जैसे श्रम-गहन सामान।

रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेप:

1. बुनियादी ढाँचा विकास:

o सुव्यवस्थित निर्यातक समर्थन के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार।

o राष्ट्रीय रसद नीति के तहत उन्नत रसद।

2. निर्यात प्रोत्साहन:

o RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) जैसी योजनाओं के माध्यम से निरंतर समर्थन।

3. तकनीकी एकीकरण:

o डिजिटल व्यापार पर जोर और उच्च विकास वाले क्षेत्रों को खोलने के लिए नवाचार।

4. पीएलआई योजनाएँ:

o इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाना।

5. एफटीए को मजबूत करना:

o व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए यूके और ईयू जैसे भागीदारों के साथ रणनीतिक समझौते।

उभरते जोखिम:

1. भू-राजनीतिक बदलाव:

o यू.एस.-चीन व्यापार तनाव से अवसर लेकिन अति-निर्भरता के जोखिम।

2. ईयू कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम):

o 2026 से स्टील और एल्युमीनियम जैसे कार्बन-गहन वस्तुओं के भारतीय निर्यात पर 20-35% का टैरिफ।

3. विनिर्माण चुनौतियाँ:

o उच्च इनपुट लागत और खंडित उत्पादन प्रणाली प्रतिस्पर्धा को कम करती है।

4. श्रम-गहन क्षेत्र में गिरावट:

o कपड़ा, मोती और चमड़ा क्षेत्रों में संरचनात्मक अक्षमताएँ वैश्विक बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित करती हैं।

भविष्य का सुझाया गया रोडमैप:

1. डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा दें:

o व्यापार सुविधा और नवाचार के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाएँ।

2. निर्यात पोर्टफोलियो में विविधता लाएं:

o आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।

3. सीबीएएम के खिलाफ़ लचीलापन बनाएं:

o हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करें और वैश्विक स्थिरता मानकों के साथ संरेखित करें।

4. व्यापार समझौतों का विस्तार करें:

o विविध बाजार पहुंच के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ एफटीए का अनुसरण करें।

5. एमएसएमई को सशक्त बनाएं:

o विनियमों को सरल बनाएं और छोटे निर्यातकों के लिए लक्षित ऋण सहायता प्रदान करें।

निष्कर्ष:

भारत की व्यापार वृद्धि 2047 तक विकसित भारत को प्राप्त करने की कुंजी है। अक्षमताओं को संबोधित करना, प्रौद्योगिकी को अपनाना और वैश्विक संबंधों को मजबूत करना भारत को एक प्रतिस्पर्धी व्यापार नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।

झील-प्रभाव वाली बर्फ़

झील-प्रभाव वाली बर्फ़, ग्रेट लेक्स क्षेत्र से जुड़ी एक मौसमी घटना है, जिसने हाल ही में अपस्टेट न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहियो और मिशिगन के शहरों को कई फ़ीट बर्फ़ के नीचे दबा दिया है।

झील-प्रभावित हिमपात के बारे में:

· यह क्या है: ठंडी हवा और बड़ी झीलों के गर्म पानी के संपर्क के कारण तीव्र हिमपात पैदा करने वाली एक स्थानीयकृत मौसमी घटना।

· पाया जाता है: संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लेक्स के पास के क्षेत्रों में आम है, विशेष रूप से न्यूयॉर्क, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में।

· यह कैसे बनता है:

.

o ठंडी हवा, जो अक्सर कनाडा से आती है, बिना जमी और गर्म ग्रेट लेक्स के ऊपर से गुजरती है।

o गर्म पानी नमी और गर्मी को निचले वायुमंडल में स्थानांतरित करता है।

o ऊपर उठती हवा ठंडी होकर बादलों की संकरी पट्टियाँ बनाती है जो 2-3 इंच प्रति घंटे या उससे अधिक की दर से हिमपात उत्पन्न करती है।

· जिम्मेदार कारक:

.

o ठंडी हवा: झील की सतह के तापमान से काफी ठंडी होनी चाहिए।

o हवा की दिशा: हिमपात से प्रभावित होने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को निर्धारित करती है।

o भूगोल: भूमि और पानी की भौतिक विशेषताएँ तीव्रता और स्थान को प्रभावित करती हैं।

· प्रभाव:

.

o स्थानीय स्तर पर भारी बर्फबारी, जो अक्सर छोटी दूरी पर बर्फ के संचय में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है।

o छतों के ढहने और वाहनों के फंसने सहित बुनियादी ढाँचे में व्यवधान।

o कुछ क्षेत्रों में वार्षिक बर्फबारी 20 फीट से अधिक होती है, जिससे दैनिक जीवन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

कुम्हरार स्थल

मौर्य इतिहास से जुड़ा कुम्हरार स्थल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 80-स्तंभों वाले सभा भवन को खोजने के लिए खुदाई के अधीन है, जो सम्राट अशोक की तीसरी बौद्ध परिषद का स्थल है।

कुम्हरार स्थल के बारे में:

· पाया गया: पहली बार 1912-15 के बीच डी.बी. स्पूनर द्वारा खुदाई की गई।

· स्थान: कुम्हरार, पटना, बिहार के पास।

· ऐतिहासिक महत्व: माना जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध परिषद के लिए सम्मेलन कक्ष था।

· वास्तुकला संबंधी विशेषताएँ:

o अस्सी स्तंभों वाला हॉल:

.

o

 शुरुआत में 72 स्तंभों की समानांतर पंक्तियाँ मिलीं, बाद में 8 और स्तंभ खोजे गए।

 उत्तर प्रदेश के चुनार से प्राप्त बलुआ पत्थर के स्तंभ लगभग 32 फीट ऊँचे थे, जिनकी चमक मौर्य वास्तुकला की खासियत थी।

 लकड़ी की छत और फर्श, जिसका प्रवेश द्वार दक्षिणी तरफ़ है।

.

o आरोग्य विहार (गुप्त काल):

.

o

 धन्वंतरि द्वारा संचालित अस्पताल-सह-मठ, जिसका प्रमाण टेराकोटा की मुहर से मिलता है, जिस पर “श्री आरोग्यविहारे भिक्षुसंघस्य” लिखा हुआ है।

एमएच-60आर सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत भारत के एमएच-60आर सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण और सेवाओं के लिए 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी है।

एमएच-60आर सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टरों के बारे में:

· समुद्री भूमिका: नौसेना संचालन के लिए तैयार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक प्रकार।

· खरीद: भारत ने 2020 में अमेरिका से 2.2 बिलियन डॉलर में 24 एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों का अनुबंध किया; अब तक नौ शामिल किए जा चुके हैं।

· परिचालन उपयोग: पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी और रसद मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया।

· उन्नत शस्त्रागार: एजीएम-114 हेलफायर मिसाइलों, एमके 54 टॉरपीडो, उन्नत सेंसर और एवियोनिक्स से लैस।

· मुख्य विशेषताएं: फोल्डिंग रोटर ब्लेड, शिपबोर्ड स्टोरेज के लिए टिका हुआ टेल और उन्नत डेटा ट्रांसफर सिस्टम।

· प्रस्तावित अपग्रेड: इसमें सामरिक रेडियो सिस्टम, इन्फ्रारेड सिस्टम, बाहरी ईंधन टैंक और उन्नत परीक्षण और मरम्मत उपकरण शामिल हैं।

अप्रत्याशित लाभ कर

भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन और डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगाए गए अप्रत्याशित लाभ कर को वापस ले लिया है।

पवन के बारे में फ़ॉल गेन्स टैक्स:

· जुलाई 2022 में पेश किया गया, जब रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ रही थीं।

· यह क्या है: उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के समय तेल उत्पादकों और ईंधन निर्यातकों द्वारा अर्जित असाधारण लाभ को प्राप्त करने के लिए लगाया गया कर।

· उद्देश्य: निर्यात-प्रेरित घरेलू कमी को रोकना और सरकारी राजस्व के लिए अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना।

· कवर किए गए उत्पाद: घरेलू कच्चा तेल, डीज़ल, पेट्रोल और एटीएफ।

· जीएसटी स्थिति: जीएसटी के अंतर्गत नहीं; विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) के रूप में लगाया जाता है।

· भारत में परिचालन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित घरेलू और निजी दोनों तेल कंपनियों पर लागू।

· भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

·

o सकारात्मक:

 घरेलू ईंधन शुल्क कटौती से होने वाले राजस्व नुकसान को कम करते हुए वित्त वर्ष 23 में ₹25,000 करोड़ उत्पन्न करने में मदद की।

 वैश्विक ऊर्जा उथल-पुथल के दौरान स्थिर घरेलू ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित की।

नकारात्मक:

 निजी रिफाइनर को उत्पादन बढ़ाने से हतोत्साहित किया।

 एक अप्रत्याशित कर व्यवस्था बनाई, जिससे निवेशकों की भावना प्रभावित हुई।

विश्व सूखा एटलस

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) और यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र ने रियाद में अपने 16वें सम्मेलन के दौरान "विश्व सूखा एटलस" लॉन्च किया।

यूएनसीसीडी के सूखा एटलस के बारे में:

· यूएनसीसीडी और यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किया गया।

· उद्देश्य: बढ़ते वैश्विक सूखे के जोखिम से निपटने और लचीलापन बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि और दिशानिर्देश प्रदान करना।

· सूखे के विस्तार को बढ़ावा देने वाले कारक:

· अस्थिर जल उपयोग और प्रतिस्पर्धा।

· खराब भूमि प्रबंधन प्रथाएँ।

· जलवायु परिवर्तन से प्रेरित वर्षा परिवर्तनशीलता।

· तेजी से शहरीकरण और संसाधन कुप्रबंधन।

· • मुख्य डेटा बिंदु:

· 2050 तक वैश्विक आबादी का 75% हिस्सा सूखे से प्रभावित हो सकता है।

· भारत में सूखे का बड़ा जोखिम है, सोयाबीन की पैदावार में कमी और फसल विफलता से कृषि क्षेत्र में लाखों लोगों को खतरा है।

· चेन्नई के 2019 के जल संकट जैसे "डे जीरो" परिदृश्य शहरी कुप्रबंधन के खतरों का उदाहरण देते हैं।